तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **गणपतसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 158/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-06-2022	अपीलार्थी गणपतसिंह राठौड़, निवासी खिरजा भोजां, राजपूतों की ढाणी, शेरगढ जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.02.2022 में (1) खिरंजा भोजा गांव के राजपूतों की ढाणी के 50 घरों में पानी पिछले 1 साल से नहीं जा रहा है इसके क्या कारण है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 761 दिनांक 09.06.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी श्री गणपतसिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर जल संसाधन विभाग, जोधपुर से संबधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 439 दिनांक 04.04.2022 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करने हेतु लिखा गया था जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने पर अन्य विभाग जिसमें संबंधित है, को विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई तो उसके विरूद्ध सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए। अतः चाही जा रही सूचना कलक्टर कार्यालय से संबंधित नहीं होने से उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं है, परिणामस्वरूप अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.03.24 18:20:28 IST
Reason: SelfAttested